

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,  
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER  
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.  
टेली/Tel: 022-28294756 / 28294799 फ़ैक्स/Fax: 28291754,  
ई-मेल/E-mail : [dcseepz-mah@nic.in](mailto:dcseepz-mah@nic.in), वेबसाइट/Web-site : [www.seepz.gov.in](http://www.seepz.gov.in)




F.N. SEEPZ-SEZ/SECURITY/P.L./07/2016-17/PART FILE-2/

25 JULY, 2019

**CIRCULAR NO. 298 /2019**

Sub- Permission for entry and exit to valid pass holders of two wheelers / four wheelers / employees from Gate no.2 between 07.30 AM to 04.00 PM.

All units located in SEEPZ and their concerned employees are hereby informed that due to start of Metro construction work near outside Gate no. 1 and keeping in view the inconvenience caused to valid pass holders of two wheelers and four wheelers through Gate no. 1, permission for entry and exit through Gate no. 2 is granted on trial basis for 01 month from 07.30 AM to 04.00 PM.

  
(Harish Chaudhary)  
Security Officer,  
SEEPZ-SEZ



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,

विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,


सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.

टेली/Tel: 022-28294756, 28294799 फ़ैक्स/Fax: 28291754,

E-mail : [dcseepz-mah@nic.in](mailto:dcseepz-mah@nic.in), Web-site : [www.seepz.gov.org](http://www.seepz.gov.org)



फा.सं.सीपज़-सेज/सुरक्षा/अनुमति पत्र/07/2016-17/भाग-2

दि. 25 जुलाई 2019

परिपत्र - 298

विषय :- दो पहिया/चार पहिया वैध पास धारक वाहन/कर्मचारियों को गेट संख्या - 2 से सुबह 7.30 बजे से शाम 4.00 बजे तक प्रवेश/निकास की अनुमति ।

सीपज़ में स्थित सभी यूनिट एवं उनसे संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि गेट नं. 1 के बाहरी बाजू में मेट्रो निर्माण का काम शुरु होने से सीपज़-सेज के सभी युनिट / कर्मचारियों को दो पहिया / चार पहिया वाहन से प्रवेश / निकास करने में होनेवाली असुविधा को मदे नजर रखते हुए सभी यूनिटों के दो पहिया / चार पहिया वैध पास धारक वाहन / कर्मचारियों को गेट संख्या- 2 से समय सुबह 7.30 बजे से शाम 4.00 बजे तक प्रवेश / निकास की अनुमति परीक्षण / प्रायोगिक तौर पर एक माह के लिए प्रदान की जाती है।

( हरिश चौधरी )

सुरक्षा अधिकारी

सीपज़-सेज